कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5 / 1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन / फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

पत्रांक 2534 / 29-1 देहरादून, दिनांक 14, फरवरी, 2023

सेवा में

रजिस्ट्रार,
मा0 एन0जी0टी0,
प्रधान शाखा, नई दिल्ली।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361 / 2022 में पारित आदेश दि0 10.10.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, की पत्र यूकेपीसीबी /एच.ओ. /सा0–183– 582 / 2022 / 1168, दिनांक 15.10.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361 / 2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी में नामित सदस्यों एवं निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के द्वारा नामित प्रतिनिधि / उप निदेशक, राजा टाइगर रिजर्व, देहरादून के द्वारा अपनी पत्र संख्या–581 / 29–1, दिनांक 14 फरवरी, 2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि राजाजी टाइगर रिजर्व, के चीला एवं गौहरी रेंज अन्तर्गत गैरकानूनी रूप से संचालित 19 रिजॉर्ट, लॉज, होटल, क्लब्स् एव आश्रम आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार वांछित कार्यवाही हेतु वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व के निर्देशन में दिनांक 06.12.2022,13.12.2022, 15.12.2022, 31.01.2023 तथा दिनांक 02.02.2023 से 04.02.2023 तक राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जॉच टीम द्वारा स्थलीय संयुक्त जॉच / पैमाईश की कार्यवाही सम्पन्न गयी। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा स्थलीय संयुक्त जॉच / पैमाईश / कृत कार्यवाही की (Action Taken Report) अनुपालन आख्या के साथ ही जिलाधिकारी, गढ़वाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, देहरादून की तत्संबन्धी आख्या भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उक्त प्रकरण में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जॉच टीम की स्थलीय संयुक्त जॉच रिर्पोट /आख्या (Action Taken Report) की प्रति मूल में मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने के अनुरोध के साथ ई–मेल (judicial-ngt@gov.in) के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

पत्रांक 2534 / 29-1 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्न को उक्त विषयक कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, "गौरा देवी पर्यावरण भवन"46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में स्थलीय संयुक्त जॉच आख्या /कृत कार्यवाही की Action Taken Report अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।
3. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 581 / 29–1, दिनांक 14 फरवरी, 2023 के कम में।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी (गढ़वाल) को उनकी पत्र संख्या–के पत्र संख्या 360 / 08–एल0ए0सी0–एन0जी0टी0 / 2023 दिनांक फरवरी 10, 2023 के कम में।
5. RAHUL VERMA, Advocate(LL.M) Supreme Court of India, Additional Advocate General, State of Uttarakhand को सूचनार्थ प्रेषित।
6. वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व।
7. वन क्षेत्राधिकारी, गौहरी एवं चीला रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।

संलग्न–उक्तानुसार।

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

कार्यालय–उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन/फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

पत्रांक 581 /29-1 देहरादून, दिनांक 14 फरवरी, 2023

सेवा में,

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, देहरादून की पत्र यूकेपीसीबी /एच.ओ. /सा0–183–582/2022/1168, दिनांक 15.10.2022 एवं आपका पत्र आर0न0–4247/29–1, दिनांक 20.10.2022 तथा पत्र संख्या–1022/29–1, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361/2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 के कम में को गठित संयुक्त कमेटी की स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण रिर्पोट सम्बन्धी कार्यवृत्त की कार्यवाही (**Factual & Action Taken Report**) आपके कार्यालय पत्रांक 740/12–1, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के द्वारा रजिस्ट्रार, मा0 एन0जी0टी0, प्रधान शाखा, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी है। संयुक्त कमेटी की निरीक्षण आख्या के कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में गैर कानूनी रूप से संचालित /आच्छादित 19 रिर्जोट, लॉज, होटल, क्लब्स् एवं आश्रम आदि के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन एवं उक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में इस कार्यालय की पत्र संख्या–238/29–1, दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 के द्वारा वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व को प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी के नामित सदस्यों एवं राजस्व विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त जॉच उपरान्त कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या (Factual &Action Taken Report) यथा शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण में निदेशक/वन संरक्षक, महोदय, राजाजी टाइगर रिजर्व एवं जिलाधिकारी, पौड़ी के द्वारा भी कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या (Compliance Report) उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त कम में वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व ने अपनी पत्र संख्या–817/29–1दिनांक 10 फरवरी, 2023 के द्वारा अवगत कराया है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में गैर कानूनी रूप से संचालित /आच्छादित 19 रिर्जोट, लॉज, होटल, क्लब्स् एव आश्रम आदि के विरूद्ध नियमानुसार राजस्व एवं वन विभाग/राजाजी टाइगर रिजर्व की एक संयुक्त टीम द्वारा उनके निर्देशन में मौके पर दिनांक 06.12.2022 से 04.02.2023 तक स्थलीय संयुक्त जॉच /पैमाईश की कार्यवाही की गयी, तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में आच्छादित 19 रिर्जोट, लॉज, होटल, क्लब्स् एव आश्रम आदि के विरूद्ध नियमानुसार वांछित स्थलीय संयुक्त जॉच/ पैमाईश की अनुपालन आख्या (Action Taken Report) की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में आच्छादित 19 रिर्जोट, लॉज, होटल, क्लब्स् एव आश्रम आदि के सम्बन्ध में वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थलीय संयुक्त जॉच/ पैमाईश एवं कृत कार्यवाही की आख्या निम्नवत् प्रेषित की गयी हैः–

राजाजी टाइगर रिजर्व के गौहरी रेंज अन्तर्गत विदांसनी ब्लॉक के निकटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित रिर्जोट का राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा दिनांक 13.12.2022 को स्थलीय संयुक्त जॉच /पैमाईश की गयी। संयुक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार निम्न रिर्जोट/आश्रमों की स्थलीय जांच आख्या/रिपोर्ट संलग्न है (**संलग्नकः–1**)।

1. वन तरंग महादेव पानी रिर्जोट
2. आश्रम महादेव पानी रिर्जोट
3. फॉरेस्ट रिर्जोट/विन्ध्यवासनी कॉटेज
4. माई का आश्रम
5. द नेचर रिर्जोट बुकन्डी (हीराखाल)
6. सुलीन जंगल लॉज, बुकन्डी (हीराखाल)

संयुक्त जॉच समिति/टीम द्वारा गजट नोटिफिकेशन, वन मानचित्र एवं राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौके पर स्थलीय संयुक्त जॉच /पैमाईश की गयी है तथा जॉच आख्या/रिर्पोट में उल्लेख किया कि उपरोक्त 06 रिर्जोट/आश्रम में से 03 रिर्जोट/आश्रम (वन तरंग महादेव पानी रिर्जोट, द नेचर रिर्जोट बुकन्डी (हीराखाल) एवं सुलीन जंगल लॉज, बुकन्डी (हीराखाल) राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर तथा 03 रिर्जोट/आश्रम (आश्रम महादेव पानी रिर्जोट, फॉरेस्ट रिर्जोट/विन्ध्यवासनी कॉटेज एवं माई का आश्रम) राजाजी टाइगर रिजर्व की संरक्षित /आरक्षित वन भूमि की सीमा से बाहर निजी नाप भूमि में निर्मित हैं। जिनमें कोई अतिक्रमण वन भूमि पर नहीं पाया।

स्थलीय निरीक्षण के दूसरे चरण में दिनांक 15.12.2022 को चीला रेंज के कौड़िया के निकटवर्ती ग्राम गंगा भोगपुर मल्ला मे अवस्थित निम्न रिजॉर्ट/आश्रम का स्थलीय जॉच /पैमाईश की गयी। संयुक्त स्थलीय जांच रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक:–02)। उक्त स्थल पर अवस्थित लॉज, रिजॉर्ट, होटल एवं आश्रम के स्थलीय जांच हेतु पूर्व में आरक्षित रही वन भूमि के सन् 1962 में (लैन्सडौन वन प्रभाग की कार्ययोजना वर्ष 1964–65 से 1973–74) Disforest (**संलग्न–3**) किये जाने का गजट नोटिफिकेशन (सीमा विवरण) एवं मूल वन मानचित्र राजाजी टाइगर रिजर्व में उपलब्ध नहीं है। उक्त राजस्व ग्राम पूर्व में लैन्सडौन वन प्रभाग की गोहरी रेंज के कोडिया ब्लॉक का भाग था जिसे disforest कर भोगपुर एवं बडकाटल गांववासियों को हस्तान्तरित की गयी थी। इस सम्बन्ध मे अभिलेखों को एकत्रित करने हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी, उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को सेटेलमेन्ट सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। किन्तु सम्बन्धित कार्यालयों से उक्त अभिलेख प्राप्त नहीं हो सके। इस हेतु गौहरी रेज के वन कर्मियों द्वारा लैन्सडौन वन प्रभाग कार्यालय में जाकर उक्त अभिलेखों की खोजबीन की गई। परन्तु किसी भी प्रकार का कोई गजट नोटिफिकेशन अथवा मानचित्र उपलब्ध नहीं हो सका।

अभिलेखों को खोजने के प्रयास मे लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार से प्राप्त कार्ययोजना (वर्ष 1974–75 से 1983–84) (**संलग्न–4**) के अनुसार शासनादेश संख्या 4606/II-C दिनांक 23.07.1965 (राजस्व विभाग) द्वारा भोगपुर एवं बरकाटल गांव की 215.6 है0 (87.7 है0 नाप एवं 127.9 है0 बेनाप) भूमि लैन्सडौन वन प्रभाग को हस्तान्तरित की गई, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या 4724/XIV-dated 21.11.1965 (वन विभाग) द्वारा तत्कालीन लैन्सडौन वन प्रभाग की गोहरी रेंज के तुन्तचौड़ एवं कौड़िया–3 की वन भूमि को निंवनीकरण कर 215.6 है0 वन भूमि गांव वालों को बसाने हेतु हस्तान्तरित की गई। परन्तु वर्तमान मे दोनों शासनादेश अप्राप्त है। अतः ग्राम गंगाभोगपुर मल्ला को आवंटित भूमि जिसमें ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा 1 से 44 तक अंकित दर्ज है की पैमाईश एवं वन सीमा की जॉच कार्यवाही राजस्व के सन् 1976 में निर्मित वर्तमान बन्दोबस्ती मानचित्र एवं मौके पर मौजूद ग्राम सीमा/जंगलात मुनारों के अनुसार उक्त स्थल की संयुक्त स्थलीय जांच/पैमाईश की कार्यवाही की गई। जो कि निम्नवत् है:–

1. __**द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट–**__ *स्थलीय संयुक्त जांच/पैमाईश आख्या में उल्लेखित है कि दी नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट द्वारा* वन भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज द्वारा भी अपने कार्यालय पंत्राक 465/15 दिनांक 25.01.2023 के अनुसार इस बात की पुष्टि की है। साथ ही अवगत कराया है कि द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट को उनके द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2023 को नोटिस दिया गया था, जिसके क्रम मे रिजॉर्ट स्वामी द्वारा निर्देशित शर्तों का अनुपालन किया गया है। जिसमें निम्न बिन्दु शामिल है–

    - रिजॉर्ट द्वारा उत्सर्जित कूड़े का निस्तारण कूड़ेदान में एकत्रित कर पार्क क्षेत्र से बाहर जाकर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जाता है।
    - रिजॉर्ट मालिक के पास पर्यटन विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनुमति प्राप्त है।
    - रिजॉर्ट द्वारा Untreated water के निस्तारण हेतु पिट बनाया गया है।

2. __**आर्य समाज मन्दिर योगाश्रमगंगा–**__ स्थलीय संयुक्त जॉच /पैमाईश के दौरान वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। कोई गतिविधि नहीं पाई गई।
3. __**ज्योर्तिलिगेश्वरा बागला मुखीधामगंगा–**__ स्थलीय जॉच /पैमाईश के दौरान वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। वर्तमान मे धाम में एक केयरटेकर रहता है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में संयुक्त स्थलीय जांच के तृतीय चरण में राजस्व ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2 तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित 10 रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम आदि की स्थलीय संयुक्त जॉच /पैमाईश दिनांक 06.12.2022, 31.01.2023, 02.02.2023 से 04.02.2023 तक की गयी है। उक्त प्रकरण में उल्लेख करना अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि उक्त स्थल पर अवस्थित लॉज, रिजॉर्ट, होटल एवं आश्रम के स्थलीय जांच हेतु पूर्व में आरक्षित रही वन भूमि के Disforest किये जाने का गजट नोटिफिकेशन (सीमा विवरण) एवं मूल वन मानचित्र राजाजी टाइगर रिजर्व में उपलब्ध नहीं है। उक्त राजस्व ग्राम पूर्व में लैन्सडौन वन प्रभाग की गोहरी रेंज के तुन्तचौड़ ब्लॉक का भाग था जिसे disforest कर भोगपुर एवं बडकाटल गांववासियों को हस्तान्तरित की गयी थी।

गंगाभोगपुर तल्ला से सम्बन्धित नोटिफिकेशन, मानचित्र आदि भी राजाजी टाइगर रिजर्व मे उपलब्ध न होने के कारण स्थलीय संयुक्त जांच/सर्वे कार्य प्रिजमैटिक कम्पास के माध्यम से नहीं किया जा सका। अतः ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला को आवंटित भूमि की पैमाईश एवं वन सीमा की जॉच कार्यवाही हेतु राजस्व एवं वन विभाग द्वारा समाधान निकाले जाने की दशा मे सहमति जताई गई कि उक्त स्थल की संयुक्त जांच /पैमाईश राजस्व विभाग के सन् 1976 में निर्मित वर्तमान बन्दोबस्ती मानचित्र जिसमें ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा 1 से 18 तक अंकित दर्ज है के आधार पर संयुक्त स्थलीय जांच/पैमाईश की कार्यवाही की गई। जांच के दौरान ग्राम की पश्चिमी सीमा पर राजस्व मानचित्र मे दर्ज जंगलात मुनारा संख्या 08 जिसकी तस्दीक संयुक्त समिति ने उपस्थित दोनों विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगणों द्वारा मौके पर की गई, को आधार मानते हुये राजस्व मानिचत्र मे दर्षित ग्राम सीमा एवं राजस्व चक मे दर्ज गाटा/खसरा नम्बरों की भूमि की लम्बाई व चौड़ाई नापकर स्थलीय जांच/पैमाइश की गई (संलग्नक–05)।

राजाजी टाइगर रिजर्व के गोहरी रेंज अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला में अवस्थित निम्न रिसोंट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम आदि की स्थलीय जांच /पैमाईश की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार हैं–

1. **पनाम्भी रिजॉर्ट एण्ड स्पा–** स्थलीय जांच के अनुसार रिजॉर्ट द्वारा पूर्व दिशा की ओर 30मी0X27मी0=810.00 वर्गमी0 अर्थात 0.081है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया। संयुक्त समिति द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34ए के अंतर्गत रिजॉर्ट स्वामी को उक्त वन भूमि पर अपना धारणाधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 808/29–1 दिनांक 10.02. 2023 से नोटिस जारी किया गया। रिजॉर्ट स्वामी द्वारा अपना दावा प्रमाणित न करने की स्थिति मे वन्यजीव संरक्षण, अधिनियम 1972 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2. **वन्दे मातरम् कुंज (दिव्य प्रेम सेवा मिशन)–** स्थलीय जांच के अनुसार मिशन द्वारा पूर्व दिशा की ओर 14मी0X19मी0= 266.00 वर्गमी0 अर्थात 0.266 है0 एवं पश्चिम दिशा की ओर 10मी0X19मी0=190.00 वर्गमी0 अर्थात 0.019 है0 वन भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। संयुक्त समिति द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34ए के अंतर्गत मिशन के प्रबन्धक को उक्त वन भूमि पर अपना धारणाधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 807/29–1 दिनांक10.02.2023 से नोटिस जारी किया गया। मिशन प्रबन्धक द्वारा अपना दावा प्रमाणित न करने की स्थिति मे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3. **राजाजी डाउन–टाउन रिजॉर्ट –** स्थलीय जांच के अनुसार रिजॉर्ट द्वारा पूर्व दिशा की ओर 30मी0X16मी0=480.00 वर्गमी0 अर्थात 0.0480 है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया। संयुक्त समिति द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34ए के अंतर्गत रिजॉर्ट स्वामी को उक्त वन भूमि पर अपना धारणाधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 805/29–1 दिनांक 10.02.2023 से नोटिस जारी किया गया। रिजॉर्ट स्वामी द्वारा अपना दावा प्रमाणित न करने की स्थिति मे वन्यजीव संरक्षण, अधिनियम 1972 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4. **जी–विलेज रिजॉर्ट** – स्थलीय जांच के अनुसार रिजॉर्ट द्वारा पूर्व दिशा की ओर 20मी0X21.50मी0=430.00 वर्गमी0 अर्थात 0.0430 है0 एवं पष्चिम की ओर 30मी0X21.50मी0=645.00 वर्गमी0 अर्थात 0.0645 है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया। संयुक्त समिति द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34ए के अंतर्गत रिजॉर्ट स्वामी को उक्त वन भूमि पर अपना धारणाधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 804/29–1 दिनांक 10.02.2023 से नोटिस जारी किया गया। रिजॉर्ट स्वामी द्वारा अपना दावा प्रमाणित न करने की स्थिति मे वन्यजीव संरक्षण, अधिनियम 1972 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु आवष्यक कार्यवाही की जायेगी।

5. **लीफ शैड रिजॉर्ट –** स्थलीय जांच के अनुसार रिजॉर्ट द्वारा पश्चिम दिशा की ओर 20मीX30मी0=600.00 वर्गमी0 अर्थात *0.0600 है0 एवं पूर्व दिशा की ओर 15मीX26मी0=600.00 वर्गमी0 अर्थात 0.0600 है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया।* संयुक्त समिति द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34ए के अंतर्गत रिजॉर्ट स्वामी को उक्त वन भूमि पर अपना धारणाधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 806/29–1 दिनांक 10.02.2023 से नोटिस जारी किया गया। रिजॉर्ट स्वामी द्वारा अपना दावा प्रमाणित न करने की स्थिति मे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

6. **वनत्रा रिजॉर्ट** – स्थलीय जांच के अनुसार रिजॉर्ट द्वारा पूर्व दिषा की ओर 24मी0X46मी0=864.00वर्गमी0 अर्थात 0.0864 है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया। संयुक्त समिति द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34ए के अंतर्गत रिजॉर्ट स्वामी को उक्त वन भूमि पर अपना धारणाधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 802/29–1 दिनांक 10.02.2023 से नोटिस जारी किया गया। रिजॉर्ट स्वामी द्वारा अपना दावा प्रमाणित न करने की स्थिति मे वन्यजीव संरक्षण, अधिनियम 1972 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु आवष्यक कार्यवाही की जायेगी।

7. **राजाजी रि–ट्रीट रिजॉर्ट** – *संयुक्त जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगा* भोगपुर तल्ला में स्थित है। पैमाईश के दौरान राजाजी रि–ट्रीट रिजॉर्ट द्वारा वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

8. **आर0एफ0सी0 रिजॉर्ट–** संयुक्त जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला में स्थित है। पैमाईश के दौरान राजाजी रि–ट्रीट रिजॉर्ट द्वारा वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

9. **वाईल्ड ट्रैल रिजॉर्ट** – संयुक्त जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला में स्थित है। पैमाईश के दौरान राजाजी रि–ट्रीट रिजॉर्ट द्वारा वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

10. **जंगल लोर वॉईल्ड लाईफ रिजॉर्ट** – स्थलीय जांच के अनुसार रिजॉर्ट द्वारा पश्चिम दिशा की ओर 10मी0X52मी0=520.00वर्गमी0 अर्थात 0.0520 है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया। संयुक्त समिति द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34ए के अंतर्गत रिजॉर्ट स्वामी को उक्त वन भूमि पर अपना धारणाधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 803/29–1 दिनांक 10.02.2023 से नोटिस जारी किया गया। रिजॉर्ट स्वामी द्वारा अपना दावा प्रमाणित न करने की स्थिति मे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संयुक्त स्थलीय जांच/पैमाईश रिर्पोट में वन भूमि पर चिन्हित अतिकमण के सम्बन्ध मे यह भी अवगत कराना है कि कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पंत्राक–ख–459/29–3(3) दिनांक 31.08.2012 (**संलग्न–6**) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार भूमि से सम्बन्धित समस्त शिकायतों को राजस्व विभाग द्वारा ही संज्ञान में लिये जाने तथा वन भूमि से प्राप्त शिकायतों को प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के संज्ञान मे लाने एवं उनका निपटारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त स्थलीय निरीक्षण को अनुमोदन हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361/2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, गढ़वाल ने अपनी पत्र संख्या–360/08–एल0ए0सी0–एन0जी0टी0/2023 दिनांक फरवरी 10, 2023 (**संलग्न–7**) के द्वारा स्थलीय संयुक्त जॉच आख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको भी पृष्टांकित है अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361/2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी ने अपनी पत्र संख्या–1032/एन0जी0टी0/2022–23 दिनांक 10.02.2023 (**संलग्न–8**) के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में आच्छादित 19 रिजॉर्ट, लॉज, होटल, क्लब्स् एव आश्रम आदि का विवरण इस कार्यालय को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, गढ़वाल को पृष्टांकित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361/2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, देहरादून ने अपनी पत्र संख्या–यूकेपीसीबी /आर.ओ.डी./एन.जी.टी.–57/2022–23/ 3606–1756, दिनांक 15.12.2022 (**संलग्न–9**) के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त प्रकरण में आच्छादित 19 रिजॉर्ट, लॉज, होटल, क्लब्स् एव आश्रम आदि पर जलवायु अधिनियमके अनुपालन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षति का विवरण सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, देहरादून को सम्बोधित तथा वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व को पृष्टांकित करते हुए प्रेषित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जॉच टीम द्वारा की स्थलीय संयुक्त जॉच /पैमाईश आख्या की Action Taken Report मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार (स्थलीय संयुक्त जॉच (Action Taken Report)।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून।

पत्रांक 581/29-1 **/दिनांकित।**

प्रतिलिपि :–निम्न को उक्त विषयक कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, 248001।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी (गढ़वाल) को उनकी पत्र संख्या–360/08–एल0ए0सी0–एन0जी0टी0/2023 दिनांक फरवरी 10, 2023 के कम में।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी को उनकी पत्र संख्या–1032/एन0जी0टी0/2022–23 दिनांक 10.02.2023 के कम में।
5. वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व।
6. वन क्षेत्राधिकारी, गौहरी एवं चीला रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।

(कहकशां नसीम)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून।

स्थलीय संयुक्त जॉच रिर्पोट /आख्या

विषयः—मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या—361/2022All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors.में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत स्थलीय संयुक्त जॉच आख्या।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 एवं सदस्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, देहरादून की पत्र दिनांक 15.10.2022, निदेशक/वन संरक्षक, महोदय, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून (उत्तराखण्ड़) की पत्र संख्या—1022/12—1, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 तथा उप जिलाधिकारी, महोदय, यमकेश्वर, की पत्र संख्या—191/पी0ए0/2022 दिनांक 11नवम्बर, 2022 के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत् में आच्छादित 19 रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लबस्, पब्स एवं आश्रम आदि के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की अध्यक्षता में नियमानुसार स्थलीय संयुक्त जॉच कर वांछित अनुपालन आख्या/रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त है जिसके अनुपालन में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जॉच टीम द्वारा दिनांक 13.12.2022 को निम्न स्थलों का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच की गयी। निम्न रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लबस्, पब्स एवं आश्रम आदि के सम्बन्ध में स्थलीय संयुक्त आख्या /रिर्पोट निम्नवत् है :—

1. **वन तंरग, महादेव पानी रिजॉर्ट** —वन तंरग, महादेव पानी रिजॉर्ट जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30°02'16.17" E077°20'30.60" है लैन्सडौन वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत ग्राम जुलटी में अवस्थित है जो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहरहै। उक्तरिजॉर्ट राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाके सन्निकट अवस्थित है। स्थलीय संयुक्त जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों से तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। उक्त स्थल पर कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं पाया अपितुरिजॉर्ट स्वामी द्वारा रिजॉर्ट संचालन हेतु घास—फूस की कच्ची झोपड़ियां /हट्स निर्मित की गयी है।

2. **आश्रम महादेव पानी (यमकेश्वर)** —आश्रम महादेव पानी (यमकेश्वर) जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30°01'51.05 E078°18'30.60" है राजाजी टाइगर रिजर्व की गौहरी रेंज के विदांसनी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम संयार की निजी भूमि में निर्मित होना पाया गया, जो आरक्षित वन सीमा से बाहर है। आरक्षित वन सीमा के मुनारे मौके पर स्थित है। स्थलीय संयुक्त जॉच में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया। उक्त आश्रम राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाके सन्निकट अवस्थित है। आश्रम स्वामी श्री हरिओमबाबा द्वारा आश्रमकी गतिविधि के संचालन हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। आश्रम स्वामी को उक्त गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य विभागों से तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया।

3. **फॉरेस्ट रिजॉर्ट/विन्ध्यवासनी कॉटेज**—फॉरेस्ट रिजॉर्ट/विन्ध्यवासनी कॉटेजजिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30°01'19.31" E078°20'12.66" है राजाजी टाइगर रिजर्व की गौहरी रेंज के विदांसनी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम संयार की निजी भूमि में निर्मित होना पाया गया, जो आरक्षित वन सीमा से बाहर है। आरक्षित वन सीमा के मुनारे मौके पर स्थित है। स्थलीय संयुक्त जॉच में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया। उक्त रिजॉर्ट /कॉटेज राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाके सन्निकट अवस्थित है। वर्तमान में उक्त रिजॉर्ट बन्द पड़ा है। रिजॉर्ट स्वामी अथवा उनका कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं मिला।

4. **माई का आश्रम**–माई का आश्रम जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N 30°01'22.78" E078°20'06.79" है राजाजी टाइगर रिजर्व की गौहरी रेंज के विदांसनी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम संयार की निजी भूमि में निर्मित होना पाया गया, जो आरक्षित वन सीमा से बाहर है। आरक्षित वन सीमा के मुनारे मौके पर स्थित है। स्थलीय संयुक्त जॉच में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया। उक्त आश्रम राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाके सन्निकट अवस्थित है।संयुक्त जॉचटीम द्वारा आश्रम स्वामिनी माई जी को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। आश्रम स्वामिनी को उक्त गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य विभागों से तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया।

5. **द नेचर रिजॉर्ट बुकन्डी(हीराखाल)**–द नेचर रिजॉर्ट बुकन्डी(हीराखाल) जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30°02'66.17" E077°20'12.08" है लैन्सडौन वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुकन्डी में अवस्थित है जो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर है। उक्त रिजॉर्ट राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाके सन्निकट अवस्थित है।

5. **सुलीन जंगल लॉज, बुकन्डी(हीराखाल)**–द नेचर रिजॉर्ट बुकन्डी(हीराखाल) जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30°01'03.63" E078°20'12.96" है लैन्सडौन वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुकन्डी में अवस्थित है जो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर है। उक्त रिजॉर्ट राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा के सन्निकट अवस्थित है।

(विनोदसिहं बिष्ट)
वन वीट अधिकारी
विध्यवासनीबीट, गौहरी रेंज।

(महेन्द्रसिहं बर्त्वाल)
वन दरोगा, /अनुभाग अधिकारी
विध्यवासनीसेक्शन,गौहरी रेंज।

08.02.2023
(मदनसिहं रावत)
वन क्षेत्राधिकारी
गौहरी रेंज(रा0टा0रि0)

(नरेन्द्रसिहं नेगी)
सर्वेयर(सेवानिवृत्त)
राजाजी टाइगर रिजर्व।

(महिपालसिहं पुण्डीर)
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील, यमकेश्वर।

(किशोर सिहं रौतेला)
नायब तहसीलदार
तहसील, यमकेश्वर।

(सत्यपाल सिंह चौहान)
राजस्व निरीक्षक
तहसील यमकेश्वर।

08.02.2023
(मनजीत सिंह)
तहसीलदार,
यमकेश्वर।

स्थलीय संयुक्त जॉच रिर्पोट /आख्या

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या–361/2022All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors.में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत स्थलीय संयुक्त जॉच आख्या।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 एवं सदस्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, देहरादून की पत्र दिनांक 15.10.2022, निदेशक/वन संरक्षक, महोदय, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून (उत्तराखण्ड़) की पत्र संख्या–1022/12–1, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 तथा उप जिलाधिकारी, महोदय, यमकेश्वर, की पत्र संख्या–191/पी0ए0/2022 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत् प्रकरण में आच्छादित 19 रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लबस्, पब्स एवं आश्रम आदि के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की अध्यक्षता में नियमानुसार स्थलीय संयुक्त जॉच कर वांछित अनुपालन आख्या/रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त है जिसके अनुपालन में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जॉच टीम द्वारा दिनांक 15.12.2022 को चिन्हित स्थलों का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच की गयी। निम्न रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लबस्, पब्स एवं आश्रम आदि के सम्बन्ध में स्थलीय संयुक्त आख्या /रिर्पोट निम्नवत् है :–

1. **द नीरज फोरेस्ट रिजोर्ट–** द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट की पैमाईश राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व विभाग के हाल बन्दोबस्ती सजरा मानचित्र सन् 1976 में दर्ज राजस्व ग्राम की सीमा पिलर /जंगलात मुनारा की लगभग दिशाकोण एवं धरातलीय दूरी के आधार पर की गयी। द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्टराजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज के अन्तर्गत एवं राजस्व मानचित्र के अनुसार राजस्व ग्राम की सीमा पिलर /जंगलात मुनारा न0 30 (जी0पी0एस0 लोकेशन N30°01'23.10" E078°15'50.16")व मुनारा संख्या 31 जो मौके पर मौजूद नहीं है को मौके पर चिन्हित किया गया। जॉच/पैमाईश में उक्त रिजॉर्ट वन सीमा से लगी निजी नाप भूमि के खसरा/गाटा संख्या 22 एवं 23 में स्थित हैजिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30°01'25.26" E078°15'48.99" है, जो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर है। स्थलीय संयुक्त जॉच में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया। उक्त रिजॉर्ट राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा के सन्निकट अवस्थित है। स्थलीय संयुक्त जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों से तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया।

2. <u>आर्य समाज मन्दिर योगाश्रमगंगा</u> –आर्य समाज मन्दिर योगाश्रमगंगाकी पैमाईश राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व विभाग के हाल बन्दोबस्ती सजरा मानचित्र सन् 1976 में दर्ज राजस्व ग्राम की सीमा पिलर /जंगलात मुनारा के लगभग दिशाकोण एवं धरातलीय दूरी के आधार पर की गयी। आर्य समाज मन्दिर योगाश्रमगंगाराजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज के कार्यक्षेत्रान्तर्गत राजस्व मानचित्र के अनुसार राजस्व ग्राम की सीमा पिलर /जंगलात चिन्हित मुनारा न0 31 व 32जो मौके पर मौजूद नहीं है को चिन्हित किया गया।जॉच/पैमाईश में उक्त आर्य समाज मन्दिर वन सीमा से लगीनिजी नाप भूमि के खसरा/गाटा संख्या 17 में स्थित है जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30°01'26.18" E078°15'44.40" है। जो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर है। स्थलीय संयुक्त जॉच में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया। आर्य समाज मन्दिर योगाश्रमगंगाराजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाके सन्निकट अवस्थित है। स्थलीय संयुक्त जॉच के दौरान उक्त वर्तमान में उक्त आर्य समाज मन्दिर योगाश्रमगंगाबन्द पाया। उक्त योगाश्रमगंगाके स्वामी अथवा उनका कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं मिला।

3. **ज्योर्तिलिगेश्वरा बागला मुखीधामगंगा** –ज्योर्तिलिगेश्वरा बागला मुखीधामगंगा की पैमाईश राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व विभाग के हाल बन्दोबस्ती सजरा मानचित्र सन् 1976 में दर्ज राजस्व ग्राम की सीमा पिलर /जंगलात मुनारा के लगभग दिशाकोण एवं धरातलीय दूरी के आधार पर की गयी। ज्योर्तिलिगेश्वरा बागला मुखीधामगंगाराजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज के कार्यक्षेत्रान्तर्गत राजस्व मानचित्र के अनुसार राजस्व ग्राम की सीमा पिलर /जंगलात चिन्हित मुनारा न0 5 व 6 जो मौके पर मौजूद नहीं हैं को चिन्हित किया गया।जॉच/पैमाईश में उक्त आर्य समाज मन्दिर वन सीमा से लगीवन सीमा से लगी निजी नाप भूमि के खसरा/गाटा संख्या 49 में स्थित है जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन N30º01'37.33" E078º16'07.27"है, जो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर स्थलीय संयुक्त जॉच में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया। योर्तिलिगेश्वरा बागला मुखीधामगंगा राजाजी टाइगर की सीमाके सन्निकट अवस्थित है। स्थलीय संयुक्त जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों से तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया।

(हरिसिंह)
वन वीट अधिकारी
कोड़िया बीट,चीला रेंज।

(मदन नेगी)
वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी
कोड़िया सेक्शन, चीला रेंज।

(शैलेश घिल्डियाल)
वन क्षेत्राधिकारी
चीला रेंज(रा0टा0रि0)

(नरेन्द्रसिंह नेगी)
सर्वेयर(सेवानिवृत्त)
राजाजी टाइगर रिजर्व।

(मनीष सजवाण)
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील, यमकेश्वर

(किशोर सिंह रौतेला)
नायब तहसीलदार
तहसील, यमकेश्वर

09.02.2023

(सत्यपाल सिंह चौहान)
राजस्व निरीक्षक
तहसील यमकेश्वरं

(मनजीत सिंह)
तहसीलदार,
यमकेश्वर।

45

WORKING PLAN

FOR THE

LANSDOWNE FOREST DIVISION

WESTERN CIRCLE, UTTAR PRADESH

1964-65 to 1973-74

COMPILED IN THE WORKING PLANS BRANCH

BY

S.S. SRIVASTAVA, A.I.F.C., P.F.S.
Deputy Conservator of Forests, Uttar Pradesh

PARTS I AND II

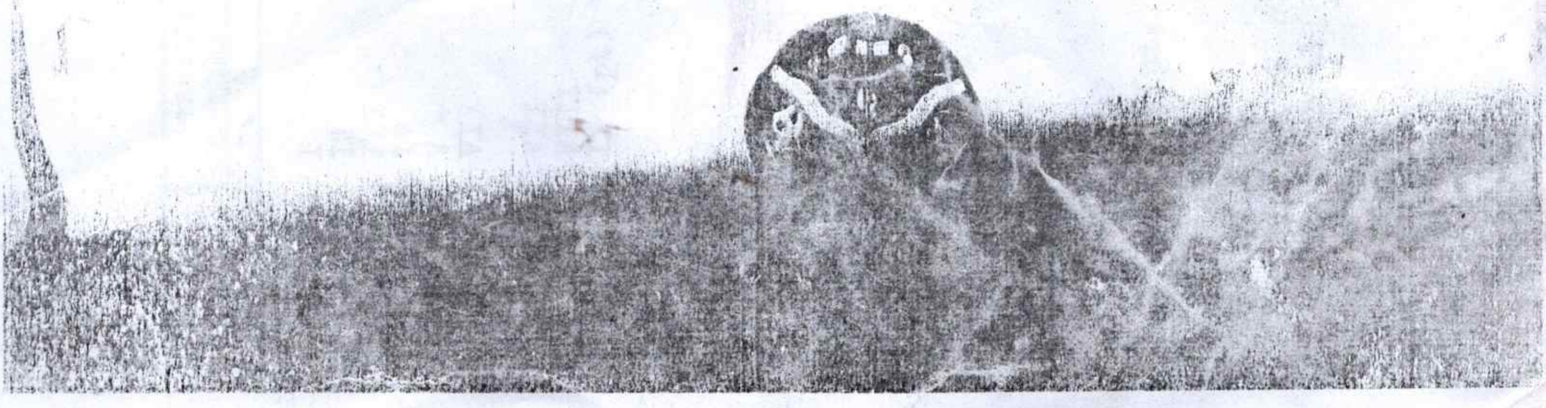

38. The figures given in the above statement are different from those given in the previous plan by 5,358 acres due to the following changes most of which have been ordered since 1949 but some of which remained unaccounted for in the previous plan. In computing areas of individual compartments, minor disforestations, transfers or changes in areas of less than 0.5 acres have been ignored, while those of 0.5 or more than 0.5 acres have been taken as one acre. Thus where the changes are in fractions, two sets of figures are given below, one giving the actual changes and the other net changes accounted for in the area statements.

(a) Disforestations :	Actual area in acres	Net change in whole acres.
Transferred from Goyon to Barswar Primary School vide G.O. No.2905/XIV-424-50 dated 20-9-1950	0.070	-
Transferred from Barswar 7 to Sendhikhal Primary School vide G.O. No.981/XIV-452-49 dated 14-6-1950 and transferred from Barswar 7 vide Van Vibhag Miscellaneous notification No. 6292/XIV- dated 12-1-1960	0.808	1
Transferred from Rewali 4 vide G.O. No. 3/XIV-351-1936 dated 8-1-1937	0.490	-
Transferred from Rewali 3 vide G.O. No. 695/XIV-81 dated 21-7-1937	0.900	1
Transferred from Rewali 1 vide G.O. No. 6292/XIV dated 12-1-60	0.137	-
Transferred in 1962 from Tunt chaor for rehabilitation of villagers from Bhogpur and Barkatal.	98.000	98
Transferred in 1962 from Kauria 3 for rehabilitation of villagers from Bhogpur and Barkatal.	118.000	118
Total	218.405	218

(b) Transferred to other departments :

Baryon 1 (G.O. No.2353/XIV-190/1948 dated 16-9-1949)	0.96	1
Baryon 2 (-ditto-)	0.99	1
Baryon 4 (-ditto-)	1.95	2
Baryon 5 (-ditto-)	0.62	1
Baryon 7 (-ditto-)	0.86	1
Kura 4 and 5 (G.O. No.9099/XIV-656/57 dated 6-1-1958)	3.452	3
Fatehpur 9, 10 and 12 (G.O. No.2566/XIV-278/1951 dated 27-8-1961)	7.571	8

WORKING PLAN

FOR THE

Lansdowne Forest Division

GARHWAL CIRCLE

UTTAR PRADESH

1974-75 to 1983-84

Compiled in the Working Plans Circle, U. P.

By

K. P. SRIVASTAVA, I. F. S.
Deputy Conservator of Forests,
Uttar Pradesh
Under the direction of
N. P. TRIPATHI, I. F. S.
Conservator of Forests, Working Plans Circle
Uttar Pradesh

PART II

NAINI TAL
WORKING PLANS CIRCLE, U. P.
1975

Price Rs. 24-00

CHAPTER 20

SYNOPSIS OF THE WORKING PLAN

20.1 DISTRIBUTION AND AREA - The total area of Lansdowne Forest Division is 85,150.3 hectares. The district-wise break up of this area according to the district boundary shown on the Survey of India map is as under :-

Bijnor district - 15,979.1 ha. (whole of Chandi range and 992.0 ha. of Hazara block of Gohri range).

Garhwal district - 69,171.2 ha. (rest of the division).

The distribution by ranges is given below :-

TABLE

Range	Area of Reserved Forests		Area of *Kham* and civil forests		Total	
	Hec.	Acres	Hec.	Acres	Hec.	Acres
Gohri	19,110.5	47,223	-	-	19,110.5	47,223.00
Laldhang	16,007.5	39.555	1,104.4	2,728.75	17,111.9	42,283.75
Kotdwara	10,825.9	26,752	455.9	1,126.69	11,281.8	27,878.69
Kohtri	17,000.2	42,008	-	-	17,000.2	42,008.00
Lansdowne	5,658.8	13,983	-	-	5,658.8	13,983.00
Chandi	14,987.1	37,034	-	-	14,987.1	37,034.00
Total	83,590.0	206,555	1,560.3	3,855.44	85,150.3	2,10,410.44

Note:- An area of 215.6 hectares (87.7 hectares *Nap* and 127.9 hectares of *Benap* land) of Bhogpur and Barkatal villages was transferred to this division vide G.O. No.4606/II-C dated 23-7-1965 (Revenue Department) and G.O.No.4724/XIV- dated 21-11-1965 (Forest Department) in lieu of the land disforested and given to these villagers in Tunt *chaur* and Kauria 3 of Gohri Range. But the area (215.6 hectares) has not yet been demarcated and notified, under section 20 of the I.F.A. As such, this area has not been included in the area statement.

20.2 EXECUTIVE CHARGES - There are six ranges in the division viz., Gohri, Laldhang, Kotdwara, Kohtri, Lansdowne and Chandi divided into 52 beats. The Chandi range with its headquarters at Shampur was transferred to Bijnor division in 1957 but with the exception of Amsot block it was transferred back to Lansdowne division in 1964. There is again a move for its transfer to Bijnor Plantation Division and the matter is under correspondence.

20.3A PAST REVENUE AND EXPENDITURE - The following table shows the past revenue and expenditure since the formation of the division :-

स्थलीय संयुक्त जॉच रिर्पोट /आख्या

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या–361/2022**All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors.**में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत स्थलीय संयुक्त जॉच आख्या।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन एवं सदस्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, देहरादून की पत्र दिनांक 15.10.2022,निदेशक/वन संरक्षक, महोदय, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून (उत्तराखण्ड) की पत्र संख्या–1022/12–1, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 एवं उप जिलाधिकारी, महोदय, यमकेश्वर, की पत्र संख्या–191/पी0ए0/2022 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के क्रम मेंअवैधानिक रूप से संचालित 19 रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम में से 10 रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रमों के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच हेतु उप जिलाधिकारी, महोदया, यमकेश्वर की पत्र संख्या–249/पी0ए0–एन0जी0टी0/2023 दिनांक 25 जनवरी, 2023 के द्वारा तहसीलदार, यमकेश्वर की अध्यक्षता में गठित राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम गठित द्वारा राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर, जिला–पौड़ी गढ़वाल में स्थित रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम आदि के भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में नियमानुसार स्थलीय संयुक्त जॉच कर वांछित अनुपालन आख्या/रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जॉच टीम द्वारा प्राप्त अभिलेखों /राजस्व विभाग का सन् 1976 में निर्मित सजरा /मानचित्र एवं खसरा खतौनी के आधार दिनांक 06.12.2022, 31.01.2023, 02.02.2023 से 04.02.2023 तक निम्न वर्णित स्थलों का स्थलीय संयुक्त जॉच/पैमाईश की गयी।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत् प्रकरण में आच्छादित 19 रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम आदि के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के क्रम में अवगत कराना है कि राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर मल्ला/तल्ला के अन्तर्गत उक्त वर्णित स्थल/क्षेत्र वर्ष 1983 में राजाजी नेशनल पार्क के गठन के फलस्वरूप लैन्सडाउन वन प्रभाग द्वारा हस्तान्तरित किये गये। प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार से प्राप्त कार्ययोजना (1964–65 से 1973–74) के पृष्ठ सं0 11 में उल्लेख है कि जिन वन क्षेत्रों को Disforestकिया गया है जो निम्नवत् हैः–

(i) Transferred in 1962 from Tunt chaor for rehabilitation of of villagers from Bhogpur and Barkatal. – 98.00 acres

(ii)Transferred in 1962 from Kauria 3 for rehabilitation of of villagers from Bhogpur and Barkatal.118.00 acres

उक्त क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडाउन वन प्रभाग, कोटद्वार से प्राप्त कार्ययोजना (1984–85 से 1993–94 तक) के पृष्ठ सं0 23 में उल्लेख है कि**वर्ष 1965 में भोगपुर व बरकाटल गांवों का 215.60 है0 (87.7है0 नाप व 127.9है0 बेनाप भूमि) राजस्व विभाग से वन विभाग को शासकीय आदेश सं0 4606/11–सी दिनांक 23–7–1965(राजस्व) व सं0 4724/14 दिनांक 21.11.1965 (वन विभाग) द्वारा स्थानान्तरित किया गया है। ये क्षेत्र तुंतचौड़ व कौडिया कक्ष सं0–3 (जो दोनों वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व में हैं) इन ग्रामों को बसाने हेतु निर्वनीकरण किये गये है। किन्तु उक्त वन क्षेत्रों जिन्हें उक्त ग्रामों को बसाने हेतु निर्वनीकरण किये गये** का गजट नोटिफिकेशन (सीमा विवरण) एवं मूल वन मानचित्र प्राप्त न होने के कारण गंगाभोगपुर मल्ला/तल्ला में अवस्थित रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम आदि की स्थलीय संयुक्त जॉच /सर्वे कार्य प्रिज्मेटिक कम्पास के माध्यम से नहीं किया जा सका। राजस्व विभाग के सन् 1976 में निर्मित वर्तमान बन्दोबस्ती मानचित्रमें ग्राम सीमा / जंगलात मुनारा 1 से 18 तक अंकित/दर्ज हैं। जॉच के दौरान ग्राम की पश्चिमी सीमा पर राजस्व मानचित्र में दर्ज जंगलात मुनारा संख्या 08 जिसकी तस्दीक वन विभाग/राजाजी टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय वन अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा मौके पर की गयी को आधार मानते हुये राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त जॉच टीम की आम सहमति होने पर राजस्व मानचित्र में दर्शितग्राम सीमा एवं राजस्व चक में दर्ज गाटा/खसरा नम्बरों की भूमि की लम्बाई/गहराई एवं चौड़ाई नापकर स्थलीय संयुक्त जॉच/पैमाईश की गयी। अतः गंगाभोगपुर तल्ला में अवस्थित 10 निम्न रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम आदि की स्थलीय संयुक्त आख्या /रिर्पोट निम्नवत् है :–

1. **पनाम्भी रिजॉर्ट एण्ड स्पा** –यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिर्जोट बना है वह राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–28मध्ये 0.558 है0 भूमि पर श्री रबि बजाज पुत्र श्री बृज किशोर व श्री गगनदीप बत्रा पुत्र श्री टेकचन्द बत्रा का नाम संकमणीय भूमि के रूप में दर्ज है। जिसमें से 0.240है0 भूमि अकृषित रूपमें दर्ज है, जिस पर रिजॉर्ट संचालित हो रहा है। मौके पर राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला की सीमा पर स्थित जंगलात मुनारा संख्या 08 को आधार बिन्दु मानकर इस भूमि की स्थलीय पैमाईश की गयी। स्थलीय पैमाईश अनुसार मुनारा संख्या 8 से मुनारा 18 की स्थिति जो मौके पर मौजूद नहीं है। मुनारा संख्या–18 कोराजस्व मानचित्र के अनुसार खेत संख्या 6 व 10 की लम्बाई/गहराई नापकर स्पष्ट की गयी।तद्परान्त चिन्हित मुनारा संख्या–18 से पनाम्भी रिजॉर्ट एण्ड स्पा की धरातलीयदूरी मौके पर राजस्व मानचित्र से नापी गयी। मौके पर पनाम्भी रिजॉर्ट एण्ड स्पा गाटा /खसरा संख्या 10 व गाटा /खसरा संख्या 6 में निर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में उक्त रिजॉर्ट द्वारा गाटा /खसरा संख्या 10 गाटा /खसरा संख्या 6 की पूर्व दिशा की ओर 30मी0X27मी0=810.00वर्गमी0 अर्थात 0.081है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया।

2. **वन्दे मातरम् कुंज (दिव्य प्रेम सेवा मिशन)** –यह आश्रम राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह आश्रम बना है वह ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–28 मध्ये 0.537 है0 भूमि पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास कुंज के नाम संकमणीय भूमि के रूप में दर्ज है। जिसमें से 0.413है0 भूमि अकृषित रूप में दर्ज है। उक्त भूमि की स्थलीय पैमाईश की गयी जो राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला की पूर्वी सीमा के मुनारा संख्या 18 व मुनारा संख्या 1(मौके पर मौजूद नहीं) एवं पश्चिमी सीमा पर मुनारा संख्या 5 व मुनारा संख्या 6 (मौके पर मौजूद नहीं) एवंमुनारा संख्या 6 व मुनारा संख्या 7 (मौके पर मौजूद नहीं) से लगी है। मौके पर वन्दे मातरम कुंज (दिव्य प्रेम सेवा मिशन) गाटा /खसरा संख्या 6 व गाटा /खसरा संख्या 7 की लम्बाई/गहराईनापकर तस्दीक किया गया। स्थलीय पैमाईश में बन्दे मातरम कुंज (दिव्य प्रेम सेवा मिशन) द्वारा गाटा /खसरा संख्या 06 से पूर्व की ओर 14मी0X19मी0=266.00वर्गमी0 अर्थात 0.0266है0 एवं गाटा /खसरा संख्या 7 में पश्चिम दिशा की ओर 10मी0X19मी0=190.00वर्गमी0 अर्थात 0.019है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया।

3. **राजाजी डाउन–टाउन रिजॉर्ट**–यह रिजॉर्ट राजाजी डाउन–टाउन रिजॉर्ट के नाम से राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिर्जोट निर्मित है वह भूमि राजस्व अभिलेख खतौनी में श्री सतेन्द्र सिहं पुत्र त्रिलोक सिहं के नाम ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–06 मध्ये 0.113 है0 भूमि संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जिसमें से 0.060है0 भूमि अकृषित रूप दर्ज है, जिस पर रिजॉर्ट संचालित हो रहा है। श्री सतेन्द्र सिहं पुत्र त्रिलोक सिहं द्वारा अपनी भूमि श्रीमती भावना पत्नी श्री अभिशेक वशिष्ठ को दिनांक 06.09.2022 से 04.08.2023 तक चार बीघा भूमि लीज पर दी गयी है। जबकि अभिलेखों में श्री सतेन्द्र सिहं पुत्र त्रिलोक सिहं के नाम 0.113है0 भूमि ही अभिलेख दर्ज है। मौके पर राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 18 व मुनारा संख्या 1 से लगी है। मुनारा 18 से राजाजी डाउन–टाउन रिजॉर्ट की स्थिति राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी एवं खेत संख्या 6 व 7 की लम्बाई/गहराई नापकर तस्दीक की गयी।जो गाटा /खसरा संख्या 06 व गाटा /खसरा संख्या 5के पूर्व में तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में उक्त रिजॉर्ट द्वारा गाटा /खसरा संख्या 6 गाटा /खसरा संख्या 5 में पूर्व दिशा की ओर 30मी0X16मी0=480.00वर्गमी0 अर्थात 0.0480है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया।

4. **जी–विलेज रिजॉर्ट**–यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिर्जोट निर्मित है वह भूमि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–06 मध्ये 0.296 है0 पर श्री बिशनसिहं पुत्र श्री बालमसिहं व श्री दर्शनलाल पुत्र श्री बालमसिहं व श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री बालमसिहं व श्री छवाणसिहं के नाम भूमि संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जिसमें से 0.296है भूमि अकृषित रूप दर्ज है, जिस पर रिजॉर्ट संचालित हो रहा है। वर्तमान में यह भूमि विकय पत्र संख्या 2064 दिनांक 11.07.2017 के माध्यम से श्री

अर्जुन कुमार सैनी व श्री राजकुमार सैनी पुत्रगण श्री सूर्यकान्त सैनी द्वारा क्रय की गयी है। मौके पर उक्त रिजॉर्ट राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 18 व मुनारा संख्या 1 से लगी है। जिसे मुनारा 18 से जी–विलेज रिजॉर्ट की स्थिति राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी एवं खेत संख्या 4 की लम्बाई/गहराई नापकर तस्दीक की गयी, जो गाटा /खसरा संख्या 04 में निर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में जी–विलेज रिजॉर्ट द्वारा गाटा /खसरा संख्या 4 के पूर्व दिशा की ओर 20मी0X21.50मी0 =430.00वर्गमी0 अर्थात 0.0430 है0 एवं पश्चिम दिशा की ओर 30.00 मी0X21.50मी0 =645.00वर्गमी0 अर्थात 0.0645 है0 वन भूमि पर अतिक्रमण पाया गया।

5. **लीफ शैड रिजॉर्ट**–यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिजोंट निर्मित है वह भूमि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौती खाता संख्या–12 मध्ये 0.192 है0 पर श्री मोहन गिरी व श्री तय गिरी पुत्रगण श्री सोम गिरी के नाम भूमि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। यह भूमि रकबा 0.096है0 अकृषित रूप में दर्ज है, जिस पर रिजॉर्ट संचालित हो रहा है। श्री मोहन गिरी व श्री तपेश्वर गिरी पुत्रगण श्री सोहन गिरी द्वारा यह भूमि रकबा 0.096 है0 श्री ललित सिहं पुत्र. स्व0 श्री सुरेन्द्र सिहं व श्री हरि शंकर मदान पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश मदान को विकय दिनांक 04.08.2022 से दिनांक 03.07.2023 तक कुल 11 माह हेतु लीज पर दी गई है। मौके पर उक्त रिजॉर्ट राजस्व मानचित्र में दर्शित पूर्व दिशा में ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 18 व मुनारा संख्या 1 तथा पश्चिम में मुनारा संख्या 3 व 4 (मौके पर मौजूद नहीं) की सीमा से लगा है। जिसे मुनारा 18 से राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी एवं खेत संख्या 2, 3 व 4 की लम्बाई/गहराई नापकर तस्दीक की गयी, जो गाटा/खसरा संख्या 02 व 03 में निर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में लीफ शैड रिजॉर्ट द्वारा गाटा/खसरा संख्या 02 के पश्चिम दिशा की ओर 20मी0X30मी0=600.00वर्गमी0 अर्थात 0.060 है0 एवं पूर्व दिशा की ओर 15मी0X26मी0=390.00वर्गमी0 अर्थात 0.0390है0 वन भूमि पर अतिक्रमण पाया गया।

6. **वनत्रा रिजॉर्ट** – यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिजोंट निर्मित है वह भूमि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–5 मध्ये 0.334 है0 पर श्री पुलकित आर्य श्री विनोद आर्य के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। यह भूमि रकबा 0.334है0 अकृषित रूप में दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है। वर्तमान में रिजॉर्ट संचालन में नहीं पाया गया। मौके पर उक्त रिजॉर्ट राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 17 (मौके पर मौजूद नहीं) व मुनारा संख्या 18 (आंशिक भाग) तथा मुनारा संख्या 18 व 1 की सीमा से लगी है। जिसे मुनारा 18 से राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी एवं खेत संख्या 14 व 15 की लम्बाई/गहराई नापकर तस्दीक की गयी, जो गाटा /खसरा संख्या 14 व गाटा /खसरा संख्या 15 में निर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में वनंत्रा रिजॉर्ट द्वारा गाटा /खसरा संख्या 14 व गाटा /खसरा संख्या 15 में पूर्व दिशा की ओर 24X36=864.00वर्गमी0 अर्थात 0.0864 है0 वन भूमि पर अतिक्रमण पाया गया।

7. **राजाजी रि–ट्रीट रिजॉर्ट** – यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिजोंट निर्मित है वह भूमि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–7 मध्ये 0.150 है0 पर श्री रोहित पुत्र श्री सुरेशचन्द्र के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जिसमें से रकबा 0.040है0 अकृषित रूप में दर्ज है, जिस पर रिजॉर्ट संचालित हो रहा है। मौके पर उक्त रिजॉर्ट की भूमि राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 16 (मौके पर मौजूद नहीं) व मुनारा संख्या 17 की सीमा से लगी है। जिसे मुनारा 18 से राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी एवं खेत संख्या 30 की लम्बाई/गहराई नापकर तस्दीक की गयी, जो गाटा /खसरा संख्या 30 में निर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में राजाजी रि–ट्रीट रिजॉर्ट द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण तस्दीक नहीं हुआ।

8. **आर0एफ0सी0रिजॉर्ट**–यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिजोंट निर्मित है वह भूमि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–04 मध्ये 0.220 है0 पर श्री संतोष कुमार व श्री खुशी राम व श्री ऋषिप्रसाद पुत्रगण श्री घनानन्द के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। यह भूमि रकबा 0.220है0 अकृषित रूप में दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर रिजॉर्ट संचालित हो रहा है। श्री संतोष कुमार व

श्री खुशी राम व श्री ऋषिप्रसाद पुत्रगण श्री घनानन्द द्वारा 0.220 है0 भूमि पर मैसर्स ए0एन0जी0 एडवेन्चर पार्टनर निशान्त भटनागर पुत्र श्री अरूण कुमार व श्री आशीष पुत्र श्री सुभाष नारायण को 13 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर दी गयी है। मौके पर उक्त रिजॉर्ट की भूमि राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 15(मौके पर मौजूद नहीं) व मुनारा संख्या 16 की सीमा से लगी है। जिसे मुनारा 18 से राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी एवं खेत संख्या 35 की लम्बाई/गहराईनापकरतस्दीक की गयी,जो गाटा /खसरा संख्या 35मेंनिर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में आर0एफ0सी0रिजॉर्टद्वारा वन भूमि पर अतिकमण तस्दीक नहीं हुआ।

9. <u>वाईल्ड ट्रैल रिजॉर्ट</u>–यह रिजॉर्ट राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिर्जोट निर्मित है वह भूमि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–31 मध्ये 0.110 है0 पर श्री रणाकोटी व पुत्र श्री जर्नादन प्रसाद के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जिसमें से भूमि रकबा 0.0550है0 अकृषित रूप में दर्ज है, जिस पर रिजॉर्ट संचालित हो रहा है। मौके पर उक्त रिजॉर्ट की भूमि राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 8 व मुनारा संख्या 9(मौके पर मौजूद नहीं)एवं मुनारा संख्या 9 व मुनारा संख्या 10 मौके पर मौजूद किन्तु सही दिशा/दूरी पर नहीं हैं की पश्चिमी सीमा से लगी है। जिसे मुनारा 08 से राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी नापकरतस्दीक की गयी,जो गाटा /खसरा संख्या 28मेंनिर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में आर0एफ0सी0रिजॉर्टद्वारा वन भूमि पर अतिकमण तस्दीक नहीं हुआ।

10. <u>जंगल लोर वॉईल्ड लाईफ रिजॉर्ट</u>–यह रिजॉर्ट वर्तमान में जंगल लोर वॉईल्ड लाईफ के नाम से संचालित नहीं है बल्कि जीवन उत्सव नाम से संचालित है तथा राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में स्थित है। जिस भूमि पर यह रिर्जोट /जीवन उत्सव निर्मित है वह भूमि ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर के खतौनी खाता संख्या–28 मध्ये 0.438 है0 पर श्री रवि मोहले के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। मौके पर उक्त रिजॉर्ट /जीवन उत्सव की भूमि राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा/जंगलात मुनारा संख्या 5 व मुनारा संख्या 6एवं मुनारा संख्या 6 व मुनारा संख्या 7(मौके पर मौजूद नहीं) की पश्चिमी सीमा से लगी है। जिसे मुनारा 08 से राजस्व मानचित्र से धरातलीय दूरी एवं खेत संख्या 7 व 8 की लम्बाई/गहराई नापकर तस्दीक की गयी, जो गाटा /खसरा संख्या 07व गाटा /खसरा संख्या 08 में निर्मित तस्दीक हुआ। स्थलीय पैमाईश में रिर्जोट /जीवन उत्सव द्वारा गाटा /खसरा संख्या 07 व गाटा /खसरा संख्या 08 में पश्चिमी दिशा की ओर 10X52=520.00वर्गमी0 अर्थात 0.0520 है0 वन भूमि पर अतिकमण पाया गया।

स्थलीय पैमाईश में राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला–2, तहसील–यमकेश्वर में स्थित उक्त 10 रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम में से कम संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 10 में उलेखित रिर्सोट, लॉज, होटल, क्लब्स्, पब्स एवं आश्रम का वन भूमि पर अतिकमण पाया गया। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

(सूरज नेगी)
वन वीट अधिकारी
कुनांऊ बीट, गौहरी रेंज।

(अमरीक सिंह)
वन दरोगा, /अनुभाग अधिकारी
कुनांऊचौड़ सेक्शन,गौहरी रेंज।

08.02.2023
(मदनसिंह रावत)
वन क्षेत्राधिकारी
गौहरी रेंज(रा0टा रि0)

(नरेन्द्रसिंह नेगी)
सर्वेयर(सेवानिवृत्त)
राजाजी टाईगर रिजर्व

(मनीष सजवाण)
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील, यमकेश्वर।

(सत्यपाल सिंह चौहान)
राजस्व निरीक्षक
तहसील, यमकेश्वर।

(किशोर सिंह रौतेला)
नायब तहसीलदार
तहसील, यमकेश्वर।

09.02.2023
(मनजीत सिंह)
तहसीलदार,
यमकेश्वर।

नजरी नक्शा
ग्राम– गंगाभोगपुर तल्ला
पट्टी –उदयपुर पल्ला–02
तहसील–यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल

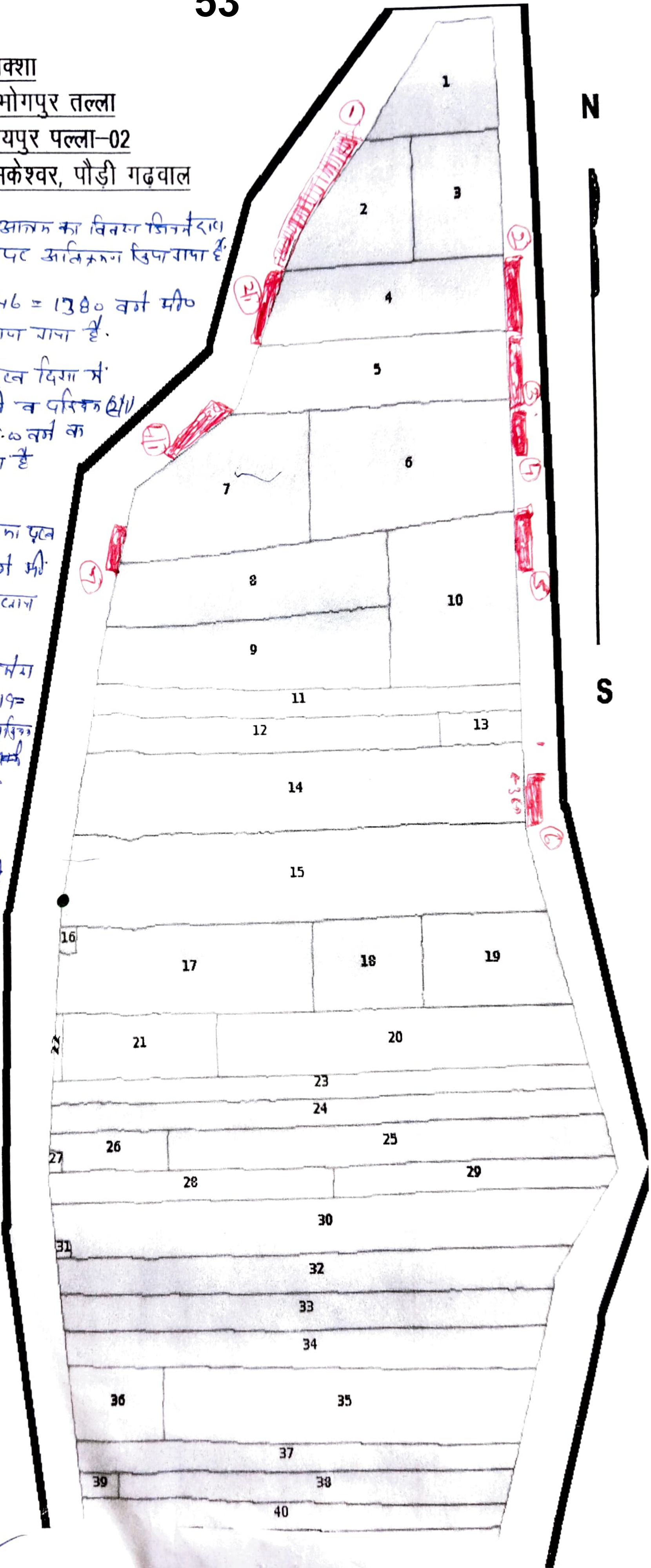

संकेत विवरण – ▬ रिसोर्ट / आश्रम का विवरण जिनके द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है

(1) लीफ सौड रिसोर्ट का 30×46 = 1380 वर्ग मी० का भूमि पर अतिक्रमण दिखाया गया है.

(2) डी. विलेज रिसोर्ट द्वारा पूरब दिशा में 20×21.50 = 430.00 वर्ग मी व पश्चिम दिशा में 30×21.50 = 645.00 वर्ग का भूमि पर अतिक्रमण दिखाया गया है कुल (1075 वर्ग मी)

(3) राजाजी डाउन ब्राउन रिसोर्ट का पूरब दिशा में 30×16 = 480.00 वर्ग मी का भूमि पर अतिक्रमण दिखाया गया है.

(4) वंदे मातरम कुन (दिव्यडेक गंगा निकेत) का पूरब दिशा में 14×19 = 266 वर्ग मी का भूमि व (4/1) पश्चिम दिशा में 10×19 = 190 वर्ग मी भूमि का भूमि पर अतिक्रमण दिखाया गया है कुल = 456 वर्ग मी०

(5) पनाश्री रिसोर्ट का पूरब दिशा में 30×27 = 810 वर्ग मी भूमि पर अतिक्रमण है.

(6) वनंतरा रिसोर्ट का पूरब दिशा में 24×36 = 864 वर्ग मी का भूमि पर अतिक्रमण है

(7) जंगल लोट वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट का पश्चिम दिशा में 10×52 = 520 वर्ग मी. का भूमि पर अतिक्रमण है

● - मुनारा नं० 8

08.02.2023

(मनीष सकलानी)
रा० उ० नि०
पट्टी उप-2

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक ए– 455 / 19–3 (5) दिनांक : देहरादून 31 अगस्त, 2012

परिपत्र (CIRCULAR)

हरिद्वार वन प्रभाग की खानपुर रेंज के अन्तर्गत सिकरौड़ा कक्ष सं0 3 (अ) तथा 3 (ब) (भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति वर्ष 1966 व 1977 से सम्बन्धित आरक्षित वन भूमि) के सीमावर्ती भू–स्वामी श्री कमरूज्जमा पुत्र–मो0 अजीज निवासी–कमर फार्म हाऊस, ग्राम सिकरौड़ा, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित कर विभिन्न प्रार्थना पत्र वर्ष 1993 से लगातार इस आशय से प्रस्तुत किये जाते रहे कि उनकी निजी भूमि वन विभाग द्वारा कब्जा कर ली गयी है, जिसे संयुक्त सर्वेक्षण कर के उन्हें वापस उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में श्री कमरूज्जमा द्वारा दि0 30.12.2008 को एक प्रार्थना पत्र वन क्षेत्राधिकारी, खानपुर रेंज को प्रस्तुत किया गया जिसे तत्कालीन वन क्षेत्राधिकरी श्री नवीन चन्द जोशी द्वारा सुनियोजित षडयन्त्रपूर्वक एवं मिलीभगत से संस्तुति सहित प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित किया गया कि श्री कमरूज्जमा के प्रार्थना पत्र के क्रम में सिकरौड़ा कम्पाटमेन्ट 3 (अ) व 3 (ब) खानपुर रेंज का संयुक्त सर्वेक्षण राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराया जाए। तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, खानपुर रेंज की इस संस्तुति के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार से पत्रांक 2568/14–1 दिनांक 29.01.2009 द्वारा उप जिलाधिकारी रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि वह विषयगत आरक्षित वन भूमि के संयुक्त सर्वेक्षण/निरीक्षण के दौरान अपने प्रतिनिधि को राजस्व अभिलेखों सहित उपस्थिति रहने का निर्देश देने का कष्ट करें।

जांच के दौरान प्रभागीय कार्यालय का उपरोक्त पत्र कूट रचित पाया गया। इस पत्र के क्रम में तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, खानपुर रेंज, तत्कालीन सर्वेयर तथा अन्य कार्मिकों ने श्री कमरूज्जमा की मर्जी के अनुसार आरक्षित वन भूमि का सर्वेक्षण दि0 05.02.2009 को कर के फर्जी सीमा स्तम्भ निर्मित कर दिये तथा आरक्षित वन भूमि में निशानदेही हेतु लकड़ी की खूटियां गाड कर आरक्षित वन भूमि को श्री कमरूज्जमा को सौप दिया गया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा वन अपराध सं0–1/प्रभागीय–9–10 जारी किया गया एवं जांच उपरान्त वाद मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय, हरिद्वार के यहां मुकदमा सं0 1100/2010 के रूप में दायर किया गया जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक जनहित याचिका सं0 76/2010 (पी0आई0एल0) "सुमेर चन्द नेता बनाम सरकार" योजित की गई। उक्त जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दि0 30.11.2011 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को अग्रेत्तर समुचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दि0 30.11.2011 को पारित आदेश में भूमि से सम्बन्धित समस्त शिकायतों को राजस्व विभाग द्वारा ही संज्ञान में लिये जाने तथा वन भूमि से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के संज्ञान में लाये जाने एवं उनका निपटारा संयुक्त रूप से किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उपरोक्त जनहित याचिका में पारित निर्णय दिनाक 30.11.2011 के क्रम में वन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आगाह करते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी वन भूमि पर स्वामित्व से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर उनके स्तर से ऐसे शिकायती पत्रों पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

भविष्य में ऐसी किसी अवांछित घटना की पुनरावृत्ति का मामला प्रकाश में आने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरांचल राज्य कर्मचारी की आचरण नियमावली 2002 के नियम-3(2) के अनुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से इसका उल्लेख किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश का सभी स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डा0 आर0बी0एस0 रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या ख- 459 / 29-3(3) दिनांकित।
प्रतिलिपि :-निम्नलिखित समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली हेतु।

(डा0 आर0बी0एस0 रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या ख- 459 / 29-3(3) दिनांकित।
प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

कार्यालय नि० रा० रा० पाक
पंजिका क्रमांक 1010
पत्रावली संख्या 29-3(3)
दिनांक 7-9-2012
सर्वेयर ... आ० का० को
... आवश्यक हेतु।

(डा0 आर0बी0एस0 रावत)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व,
देहरादून।

संख्याः 360 /08-एल0ए0सी0-एन0जी0टी0/2023 दिनांक फरवरी 10 ,2023

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0-361/2022 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं0- 440/29-1 दिनांक 28-12-2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0-361/2022 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2022 के अनुपालन हेतु स्थलीय संयुक्त जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण पर उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर से स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की गई। उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर द्वारा अपने पत्र सं0-254/पी0ए0-एन0जी0टी0/2023 यमकेश्वर, दिनांक 08-02-2023 के द्वारा अवगत कराया है कि राजस्व विभाग एवं वन विभाग की गठित संयुक्त टीम द्वारा राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला/मल्ला, पट्टी उदयपुर पल्ला-2, तहसील यमकेश्वर, जिला पौडी गढ़वाल में अवस्थित रिसोर्ट, लॉज, होटल, क्लब्स, पब्स एवं आश्रम आदि की स्थलीय संयुक्त जांच/सर्वे प्रिज्मेटिक कम्पास के माध्यम से नही किया जा सका। राजस्व विभाग के सन् 1976 में निर्मित वर्तमान बन्दोवस्ती मानचित्र में ग्राम सीमा /जंगलात मुनारा 1 से 18 तक अंकित दर्ज है। जांच के दौरान ग्राम पश्चिमी सीमा पर राजस्व मानचित्र मे दर्ज जंगलात मुनारा सं0- 08 जिसकी तस्दीक वन विभाग/राजाजी टाईगर रिजर्व के क्षेत्रीय वनाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौक पर की गई, को आधार मानते हुए राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त जांच टीम की आम सहमति होने पर राजस्व मानचित्र में दर्शित ग्राम सीमा एवं राजस्व चक में दर्ज गाटा/खसरा नम्बरों की भूमि की लम्बाई/गहराई एवं चौड़ाई नापकर स्थलीय संयुक्त जांच/पैमाईश की गई।

3- उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर द्वारा तहसील यमकेश्वर क्षेत्रान्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0- 361/2022 से आच्छादित समस्त 19 रिजॉर्ट/होटल/आश्रमों आदि के भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में स्थलीय संयुक्त आख्या प्रेषित की गई है।

अतः उपजिलाधिकारी यमकेश्वर द्वारा प्रस्तुत स्थलीय संयुक्त जांच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2- वन्यजीव प्रतिपालक(चीला), राजाजी टाइगर रिजर्व, हरिद्वार।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रेषक–

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
पौड़ी।

सेवामें,

उपनिदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक -1032/एन0जी0टी0 / 2022–23 पौड़ी:दिनांक:– 10/02/,2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या–361/2022 में पारित आदेश दिनांक–10.10.2022 के अनुपालन में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक सं0– 440/29–1, दिनांक–28.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा गंगाभोगपुर तल्ला, मल्ला एवं अन्य चिन्हित क्षेत्रों/स्थलों पर आच्छादित 19 होटल, रिजॉर्ट, आश्रम की राजस्व एवं वन विभाग द्वारा स्थलीय संयुक्त चांज/पैमाईश कार्य गतिमान हैं। उक्त के क्रम जिलाधिकारी कार्यालय, पौड़ी के पत्रांक संख्या–68/08–एल0 ए0 सी0 एन0 जी0 टी0/2023 दिनांक–04/02./2023 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उक्त 19 होटल, रिजॉर्ट में विभागीय कार्यवाही यथा– नोटिस वितरण आदि के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–04.02.2023 को ईमेल के माध्यम से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर दिया था। पुनः इसी क्रम में अवगत कराना है कि 19 होटल/रिजॉर्ट में 05 होटल/रिजॉर्ट उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली–2014 यथा संशोधित –2016 नियमावली के अन्तर्गत पर्यटन विभाग से पंजीकृत हैं। 04 होटल/रिजॉर्ट ने पंजीकरण हेतु पर्यटन विभाग में ऑनलाईन आवेदन किया है, इन यूनिट से पंजीकरण हेतु राजाजी नेशनल पार्क से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया हैं। अन्य 10 होटल/रिजॉर्ट को दिनांक 01.02.2023 को उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली–2014 यथा संशोधित –2016 नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं करवाने हेतु नोटिस दिये गये हैं।

संलग्न– उक्तवत् (19 होटल/रिजॉर्ट का विवरण)।

भवदीय

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
पौड़ी।

प्र0पृ0सं0– /समदिनांकित/2022–23

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
पौड़ी।

Scanned with CamScanner

Gmail Office of District Tourism, Pauri Garhwal, UK. <pauritouristoffice@gmail.com>

NGT Application No- 361/ 2022 order 10-10-2020 compliance

Office of District Tourism, Pauri Garhwal, UK. <pauritouristoffice@gmail.com> Sat, Feb 4, 2023 at 5:55 PM
To: DISTRICT MAGISTRATE GARHWAL <dmgarhwal@gmail.com>
Cc: SDM Yamkeshwar <sdmyem@gmail.com>, Tehsildar Yem <tahsildaryem@gmail.com>

Respected Sir,
Please find the details of trailing email.

#Registered units
1 downtown resort
2 G Village resort
3 Rajaji Retreat resort
4 Neeraj Forest
5 Nature resort Bukhandi

#Units applied for registration but not registered due to incomplete required-documents
1 panambi resort
2 wild trail resort
3 jungle lore wildlife resort
4 van tarang tents

#Notices given on 1 Feb 2023, to units through registered Post are
1 vande matram kunj
2 leaf shade resort
3 vantra resort
4 RFC resort
5 area samaj mandir yogashram ganga
6 jyotilingeshwar bagla mukhidham ganga
7 ashram mahadev paani
8 forest resort sanyar
9 ashram sanyar
10 suleen jungle lodge bukhandi.

Thanks & Regards
District Tourism Office,
Pauri.

[Quoted text hidden]

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-57/2022–23/3606 — 1756 दिनांक: 15/12/22

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

विषय– **मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 361/2022 में परित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन के सबंघ में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–582/2022/1168 दिनांक 15.10.2022 के अनुकम में मा0 एन.जी.टी. द्वारा मूल आवेदन संख्या 361/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 के अनुपालन हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में आच्छादित 19 होटल/रिर्सोट/आश्रम आदि के विरुद्व दिनांक 16.11.2022 को पुनः निरीक्षण किया गया जिसमें नियमानुसार की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

कम संख्या	होटल /रिर्सोट/आश्रम का नाम	वर्तमान में जल/वायु अधिनियम के अनुपालन की स्थिति	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का विवरण
1	मै0 पनामी रिसोर्ट एंड स्पा.,ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौड़ी गढवाल	जल/वायु सहमति हेतु आवेदन किया गया है। कार्यालय में विचाराधीन है।	कुल EC दिनांक 03.08.2022 से 11. 08.2022 तक रुपये 52,500/-
2	मै0 वन्दे मातरम कुंज आश्रम, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	बोर्ड के गैर औद्योगिक श्रेणी में स्पष्ट रुप से श्रेणी निर्धारण नही है।	—
3	मै0 डाउन टाउन रिर्सोट एंड कैफे, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	जल/वायु सहमति हेतु आवेदन किया गया है। कार्यालय में विचाराधीन है।	कुल EC दिनांक 3.08.2022 से 11.10. 2022 तक रुपये 41,400/-
4	मै0 जी विलेज रिर्सोट एंड स्पा, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	जल/वायु सहमति दिनांक 31.03. 2026. अनुपालन किया जा रहा है।	—
5	मै0 लीफ शेड रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	जल/वायु सहमति हेतु आवेदन किया गया है। कार्यालय में विचाराधीन है।	कुल EC दिनांक 3.08.2022 से 31.08. 2022 तक रुपये 16,200/-
6	मै0 राजाजी वाइल्ड ट्रेल रिर्सोट, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	जल/वायु सहमति दिनांक 31.03. 2026. अनुपालन किया जा रहा है।	—
7	मै0 आर.एफ.सी (M/s ANG Adventure) ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	जल/वायु सहमति दिनांक 31.03. 2027. अनुपालन किया जा रहा है।	—

8	मै0 ज्योर्तिलिंगेश्वरा बागलामुखी धाम, गंगा ग्राम भोगपुर, मल्ला यमकेश्वर, पौड़ी गढवाल	बोर्ड के गैर औद्योगिक श्रेणी में स्पष्ट रुप से श्रेणी निर्धारण नही है।	—
9	दि नीरज फारेस्ट रिर्सोट, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	जल/वायु सहमति दिनांक 31.03. 2024. अनुपालन किया जा रहा है।	कुल EC दिनांक 3.08.2022 से 20.10. 2022 तक रुपये 78000/-
10	मै0 जंगल लोर वाईल्ड लाइफ रिर्सोट (ओसो गंगा उपवन आश्रम), ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौड़ी गढवाल	वर्तमान में जल/वायु सहमति हेतु आवेदन नही किया गया है।	दिनांक 03.08.2022 से रु0 3000/–प्रतिदिन
11	मै0 राजाजी रिट्रीट, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	जल/वायु सहमति दिनांक 31.03. 2026. अनुपालन किया जा रहा है।	—
12	मै0 आर्य समाज मंदिर योग आश्रम, ग्राम गंगा भोगपुर मल्ला, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढवाल	वर्तमान में जल/वायु सहमति हेतु आवेदन नही किया गया है।	दिनांक 03.08.2022 से रु0 1800/–प्रतिदिन
13	मै0 वन तरंग रिर्सोट, गुल्डी गांव, यमकेश्वर, पौड़ी गढवाल	वर्तमान में जल/वायु सहमति हेतु आवेदन नही किया गया है।	दिनांक 03.08.2022 से रु0 3000/–प्रतिदिन
14	मै0 फॉरेस्ट कैंप रिर्सोट,सन्यार पटटी तल्ला उदयपुर, यमकेश्वर, पौड़ी गढवाल	रिर्सोट काफी समय से बंद है एवं संचालन में नही है।	—
15	मै0 नेचर रिर्सोट, ग्राम बुखडी, पो0आ0 हीराखाल, पौड़ी गढवाल	होटल को दिनांक 31.03.2026 तक सहमति प्राप्त है, अग्रेतर होटल द्वारा 03 कमरों का क्षमता विस्तारीकरण किया गया है। बोर्ड में क्षमता विस्तारीकरण हेतु आवेदन नही किया गया है।	दिनांक 03.08.2022 से रु0 3000/–प्रतिदिन
16	मै0 आश्रम महादेव पानी (तृपेश्वरी माता) यमकेश्वर, पौड़ी गढवाल	बोर्ड के गैर औद्योगिक श्रेणी में स्पष्ट रुप से श्रेणी निर्धारण नही है।	—
17	मै0 वनंत्रा रिसोर्ट, ग्राम गंगा भोगपुर तल्ला, पौडी गढ़वाल	निरीक्षण के समय होटल संचालन में नही था।	—
18	मै0 आश्रम संयार, गौहरी रेंज, भोगपुर, यमकेश्वर, पौड़ी गढवाल	वर्तमान में जल/वायु सहमति हेतु आवेदन नही किया गया है।	दिनांक 03.08.2022 से रु0 1800/–प्रतिदिन
19	मै0 सुलीन जंगल लॉज, बुकन्डी, (हीराखाल) पौड़ी गढवाल	वर्तमान में जल/वायु सहमति हेतु आवेदन नही किया गया है।	दिनांक 03.08.2022 से रु0 1800/–प्रतिदिन

अग्रेतर उपरोक्त सभी होटल/रिर्सोट/आश्रम की जांच आख्या/ अनुपालन की स्थिति संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय

डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि– वन्य जीव प्रतिपालक, चीला राजाजी टाइगर रिजर्व, बिल्केश्वर खंड, फोरेस्ट कालोनी, हरिद्वार को पत्रांक–473/29 दिनांक 21.11.2022 के अनुकम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)